रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2006 (चैत्र 18, 1928)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8—APRIL 14, 2006 (CHAITRA 18, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	333
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	313
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	447
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1047
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	149
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	367
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	353
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	333
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	313
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	I
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	447
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1047
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	149
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	367
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	353
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2006

संकल्प

संख्या फा.4(1)/2004-हिन्दी। इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 13.2.2006 के क्रम में श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) को श्री मनोज कुमार के स्थान पर संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

पी. गोपालाकृष्णन
संयुक्त सचिव

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2006

सं0 आई-14019/6/2002-एच।।/एच. IV /एच ।..भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना वर्ष 1954 में तत्कालीन निर्माण एवं आवास मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी जिसके उद्देश्य अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :-

(क) आवास क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के संबंध में सूचना का संग्रहण, प्रलेखन और प्रचार करना तथा

(ख) आवास तथा भवन आंकड़े तैयार करना और आवास के सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और निवेश पक्षों से संबंधित अध्ययन चलाना ।

अगस्त, 1992 में संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का पुनर्गठन किया गया था यथा आवास संबंधी आंकडों के संकलन के अलावा आवास के समाजार्थिक पक्षों का अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्य दिया गया ।

राष्ट्रीय आवास नीति के तहत वर्तमान जरूरतों तथा आवास एवं भवन निर्माण कार्यकलापों से जुड़े विभिन्न समाजार्थिक तथा आंकड़े संबंधी कार्यों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय के प्लान/योजनाओं की सही ढंग से मानीटरिंग हो, राष्ट्रपति पहले के सभी आदेशों/निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को बनाए रखने/ निम्नानुसार इसके पुनर्गठन का आदेश देते हैं :-

(i) पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता रहेगा । भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा के निदेशक/उप सचिव संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगें और विभागाध्यक्ष के सभी सांविधिक और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेंगें ।

(ii) पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का कार्य क्षेत्र इस प्रकार होगा:-

(क) आवास तथा भवन निर्माण आंकड़ों का एकत्रीकरण, मिलान, वैधीकरण, विश्लेषण, प्रसार तथा प्रकाशन ।

(ख) आवास तथा भवन निर्माण आंकड़ों के एकत्रीकरण और प्रसार से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

(ग) आवास, गरीबी, स्लमों तथा अवस्थापना संबंधी आंकड़ों के लिए प्रलेखन केन्द्र बनाना तथा उसका प्रबंधन ।

(घ) आवास तथा संबद्ध अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में नियोजकों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान संगठनों की आंकड़ों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते राज्य सरकारों/अनुसंधान संस्थानों/यूएनसीएचएस/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि के साथ समन्वय स्थापित करना ।

(ड.) इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्लान योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से अल्पकालीन प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करना । वर्ष में कम से कम दो ऐसे अध्ययन आयोजित किए जाएंगे ।

(च) मंत्रालय की आवश्यकतानुसार आवास तथा अवस्थापना में प्लानों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशेष समाजार्थिक अध्ययन चलाना जिसके लिए मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

(छ) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपा जाने वाला अन्य कोई कार्य ।

उपर्युक्त कार्यक्षेत्र को पूरा करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन मे केवल दो डिवीजन होंगे यथा समाजार्थिक (सोशियो एकोनॉमिक) डिवीजन तथा प्रशासन डिवीजन । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के पुनःप्रबंध/पुनर्गठन में निम्नलिखित सरकारी आदेशों को ध्यान में रखा गया है:-

(i) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आई ई एस प्रभाग का दिनांक 30.10.2005 का कार्यालय आदेश सं0 11015/1/2003-आईईएस ।

(ii) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का दिनांक 5.1.2006 का आदेश सं. 12011/1/2003-आईएसएस(खंड V) ।

(iii) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का दिनांक 8.1.2004 का कार्यालय ज्ञापन सं0 12034/1/2002-एसएसएस ।

उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की उपर्युक्त दो यूनिटों के साथ स्वीकृत स्टाफ संख्या 41 होगी । ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं । समूह 'घ' कर्मचारियों के 11 पदों अर्थात चपरासी, अटेंडेंट, दफ्तरी और गेस्टेटनर आपरेटर में से 6 पद वर्तमान पदधारियों की अधिवार्षिता/सेवानिवृत्त/स्थानांतरण होने पर समाप्त कर दिए जाएंगे । सीनियर फोटो अधिकारी का समूह 'क' पद और डार्क रूम असिसटेंट का समूह 'ग' पद भी वर्तमान पदधारी की अधिवार्षिता/सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने पर समाप्त कर दिए जाएंगे । अनुसंधान अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/अर्थव्यवस्था अधिकारी के पदों को भी संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से चरणबद्ध रूप से घटाकर 5 तक कर दिया जाएगा ।

अनुलग्नक

पुनर्गठित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का संगठनात्मक चार्ट

निदेशक(आई ई एस)

सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन		प्रशासन डिवीजन	
1.	उप निदेशक(आईईएस)* 1	1.	सीनियर फोटोअधिकारी - 1
2.	उप निदेशक(आईएसएस)** 1	2.	अनुभाग अधिकारी - 1
3.	अनुसंधान अधिकारी(आईईएस) 2	3.	सहायक - 1
4.	अनुसंधान अधिकारी(आईएसएस)3	4.	उच्च श्रेणी लिपिक - 2
5.	सांख्यिकी अधिकारी/अर्थव्यवस्था अधिकारी(एसएसएस)*** 5	5.	अवर श्रेणी लिपिक - 2
		6.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' - 2
		7.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' - 1
		8.	हिन्दी अनुवादक - 1
		9.	डार्क रूम असिसटेंट - 1
		10.	स्टाफ कार ड्राइवर - 1
		11.	दफ्तरी - 1
		12.	चपरासी - 7

13. अटेंडेंट - 2
14. डाक्यूमेंटेशन आपरेटर- 1
15. चौकीदार - 2
16. जमादार - 1
17. फराश - 1

कुल पद -41

* भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा (आईईएस)
** भारतीय सांख्यिकी सेवा (आइएसएस)
*** अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस)

टिप्पणीः- 1.समूह "घ" (चपरासी, अटेंडेंट, दफ्तरी तथा डाक्यूमेंटेशन आपरेटर) के 6 पद वर्तमान पदधारो की अधिवार्षिता होने पर समाप्त कर दिए जाएंगे ।

2. सीनियर फोटो अधिकारी का समूह "क" पद और डार्क रूम असिस्टेंट का समूह "ग" का पद वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति होने पर समाप्त कर दिया जाएगा ।

3. अनुसंधान अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/अर्थव्यवस्था अधिकारी के पद संबंधित संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के परामर्श से चरणबद्ध रूप से घटाकर 5 तक कर दिए जाएंगे ।

(हजारी लाल)
निदेशक(आवास)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2006

सं.एवी-18018/02/2006-एआई एअर इंडिया लिमिटेड के लिए 50 विमानों तथा एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के लिए 18 विमानों के अर्जन के संबंध में, पीआईबी (सार्वजनिक निवेश बोर्ड) द्वारा यथा अनुशंसित, लागत ढाँचे तथा उत्पादकता का मूल्यांकन करने और लागत में कमी पाने के लिए मानक नियत करके और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

1.	श्री आर.के. सिंह संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय.	अध्यक्ष
2.	श्री संदीप प्रकाश, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय.	सदस्य
3.	श्रीमती नीलम सांघी, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय.	सदस्य
4.	श्री सुदेश पुनहानी, निदेशक वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड.	सदस्य

5. श्री अमोद शर्मा, सदस्य
निदेशक - कार्मिक,
एअर इंडिया लिमिटेड.

2. इस समिति की संदर्भ शर्तें निम्नानुसार होंगी :

(i) श्रम शक्ति संबंधी अपेक्षाओं की संवीक्षा और इनकी अधिकतम उपयोगिता।

(ii) कर्मचारी यूनियनों के साथ समझौता ज्ञापन की समीक्षा और उद्योग के मानकों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करारों/ठेकों में विनिर्दिष्ट सुझाव देना।

(iii) एअर इंडिया में अमहत्वपूर्ण गतिविधियों में आउटसोर्सिंग का लागत लाभ विश्लेषण करना और कर्मचारी विमान अनुपात को कम करने के लिए सुझाव देना।

(iv) राजस्व तथा लाभ संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने के लिये महत्वपूर्ण/अमहत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक बाजार सम्भावनाओं की समीक्षा करना।

(v) एयरलाइन की लागत संरचना की समीक्षा करना और राजस्व व्यय अनुपात को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।

(vi) एयलाइन के वत्तीय निष्पादन की समीक्षा करना और विमान उपयोगिता, समग्र लोड फैक्टर आदि में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

(vii) एअर इंडिया की तुलना में उद्योग के मानकों के वास्तविक/वित्तीय निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण तथा एयरलाइन निष्पादन में समग्र सुधार के लिए उपाय सुझाना।

(viii) किसी अन्य संबंधित पक्ष पर ध्यान देना जैसा भी आवश्यक प्रतीत हो।

3. समिति इनके साथ-साथ अपने कार्यों के विधिवत् निष्पादन के लिए जैसे आवश्यक समझे किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) का विकल्प चुन सकती है।

4. समिति अपना कार्य यथा सम्भव शीघ्र, किन्तु अधिकतम तीन महीने के भीतर, समाप्त करे।

के. के. पद्मनाभन
अवर सचिव

*Folios not received

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2006

सं0 के -14012/101/2006-एनयूआरएम

1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उप-मिशन के लिए तकनीकी परामर्शदात्री समूह एतद् द्वारा निम्नवत गठित किया जाता है :

i) श्री रमेश रामानाथन — राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता और अध्यक्ष
ii) प्रो0 ओम प्रकाश माथुर — सदस्य
iii) श्रीमती शीला पटेल — सदस्य

2. तकनीकी परामर्शदात्री समूह के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

i) सामुदायिक भागीदारी प्राप्त करने, पारदर्शिता और जबावदेही प्राप्त करने, सेवा प्रदान करने और शासन में नागरिकों को शामिल करने के तौर-तरीकों के संबंध में राष्ट्रीय संचालन दल, मिशन निदेशालय तथा केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति, राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा शहरी स्थानीय निकायों को परामर्श देना ।
ii) प्रत्येक मिशन शहर में स्वैच्छिक तकनीकी कोर्पस सृजित करने में सहायता प्रदान करना ।
iii) शहरी शासन में सुधार लाने हेतु सिविल सोसाइटी और चयनित प्रतिनिधियों को संघटित सहयोग प्रदान करना ।
iv) वार्ड समितियों, क्षेत्र सभाओं और स्वैच्छिक तकनीकी कोर्पस आदि के माध्यम से निम्न स्तर पर नागरिकों को शामिल करने हेतु सहायता प्रदान करना ।

3. तकनीकी परामर्शदात्री समूह एक माह में कम से कम एक बैठक करेगा ।

4. शहरी विकास मंत्रालय समूह की बैठकों के सुचारू आयोजन हेतु उपयुक्त स्थान और अन्य लोजिस्टिक सहायता मुहैया करायेगा ।

5. समूह के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के श्रेणी-। अधिकारियों के लिए निर्धारित दरों से टीए/डीए के पात्र होंगे ।

6. शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन दोनों उप-मिशनों की केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समितियों में राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता विशेष आमंत्री होंगें ।

7. राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता को राज्य स्तरीय संचालन समिति में सदस्य अथवत विशेष आमंत्री के रूप में शामिल करने हेतु राज्यों से अनुरोध किया जायेगा ।

8. इसे शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन में जारी किया गया है ।

एस. कनकाम्बारन
अवर सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 17th March 2006

Resolution

No.F.4(1)/2004-Hindi. In continuation of this Ministry Resolution of even number dated 13-2-2006, Shri Laxminarayan Sharma, Member of Parliament (Rajya Sabha) is nominated as Member of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs in place of Shri Manoj Kumar.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Adminstrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

P. GOPALAKRISHNAN
Joint Secy.

MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 27th March 2006

No.I-14019/6/2002-H.II/H.IV/H.I.....National Buildings Organisation (NBO) was established by Government of India in 1954 as an attached office under the control of the then Ministry of Works and Housing with the objectives, inter alia to:

(a) collect, document and disseminate information on latest advances in housing, and
(b) develop housing and building statistics and conduct studies relating to social, economic, financial and investment aspects of housing.

NBO was restructured in August, 1992 with a revised mandate viz. study and survey of socio-economic aspects of housing apart from compilation of statistics relating to housing.

Having regard to current requirements under the National Housing Policy and various socio-economic and statistical functions connected with housing and building activities and also to ensure that plan/schemes of the Ministry is properly monitored, the President in supersession of all previous orders / instructions is pleased to order the continuation/ restructuring of the National Buildings Organisation under the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation as under:-

(i) The restructured National Buildings Organisation (NBO) will continue to function as an attached office under the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation. The Director/ Deputy Secretary of Indian Economic Service will function as Head of the organization and will exercise all statutory and financial powers of the Head of Department.

(ii) The mandate of the National Buildings Organisation in its restructured form will be:

(a) To collect, collate, validate, analyse, disseminate and publish the housing and building construction statistics.
(b) To organize training programmes for the officers and staff of the State Govts. engaged in collection and dissemination of housing and building construction statistics.
(c) To create and manage a documentation centre relating to housing, poverty, slums and infrastructure related statistics.
(d) To coordinate with all the State Govts. / Research Institutions /UNCHS/ International Bodies etc. as being a nodal agency in the field to cater to the statistical needs of the planners, policy makers and research organization in the field of housing and related infrastructural facilities.
(e) To conduct regular short-term sample surveys in various pockets of the country to study the impact of the plan schemes which are being run by this Ministry by utilizing the service of the staff so employed on contractual basis. At least two such studies will be conducted in a year.
(f) To undertake special Socio-Economic studies evaluating the impact of the plans, policies and programmes in the field of housing and infrastructure, as and when required, by the Ministry for which the additional funds will be provided by the Ministry.
(g) To undertake any work assigned by the Ministry from time to time.

To achieve the above mandate the restructured National Buildings Organisation will have only two divisions i.e. **Socio-Economic Division** and **Administration Division.** The reorganization/ restructuring of National Buildings Organisation also takes into account the following Orders of the Government:

(i) Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, IES Division's Office Order No. 11015/1/2003-IES, dt.30.10.2005.

(ii) Ministry of Statistics & P.I. Order No. 12011/1/2003-ISS(Vol.V), dt.05.01.2006

(iii) Ministry of Statistics & P.I. O.M. No. 12034/1/2002-SSS dt.08.01.2004.

Consequent to the above decision, the sanctioned strength of restructured NBO with the above two units will be 41 posts. The details are at **Annexure**. Out of the 11 Group 'D' employees i.e. Peons, Attendents, Daftry and Gestetner Operator, 06 posts will be abolished as and when the present incumbent superannuates/retires/transferred. Group 'A' post of Senior Photo Officer and Group 'C' post of Dark Room Assistant will also stand abolished as and when the present incumbent superannuates/retires/transferred. The Posts of Research Officer/Statistical Officers/Economic Officer taken together will also be reduced to 05 (five) in a phased manner in consultation with the respective Cadre Controlling Authority.

Annexure

ORGANIZATIONAL CHART OF THE RESTRUCTURED NATIONAL BUILDINGS ORGANISATION

DIRECTOR (IES)

SOCIO-ECONOMIC DIVISION		ADMINISTRATION DIVISION	
1. Deputy Director (IES)*	1	1. Sr. Photo Officer	- 1
2. Deputy Director (ISS)**	1	2. Section Officer	- 1
3. Research Officers (IES)	2	3. Assistant	- 1
4. Research Officers (ISS)	3		
5. Statistical Officers/ Economic Officer (SSS)***	5	4. UD Clerk	- 2
		5. LD Clerk	- 2
		6. Stenographer Gr.'C'	- 2
		7. Stenographer Gr. 'D'	- 1
		8. Hindi Translator	- 1
		9. Dark Room Assistant	- 1
		10. Staff Car Driver	- 1
		11. Daftry	- 1
		12. Peon	- 7
		13. Attendent	- 2
		14. Documentation Operator	- 1
		15. Chowkidar	- 2
		16. Sweeper	- 1
		17. Farash	- 1

Total No. of Posts - 41

* Indian Economic Service (IES)
** Indian Statistical Service (ISS)
*** Subordinate Statistical Service (SSS)

Note: 1. 06 posts of Group 'D' (Peons, Attendents, Daftry and Documentation Operator) will stand abolished as and when present incumbent superannuates.

2. Group 'A' Post of Senior Photo Officer and Group 'C' Post of Dark Room Assistant stand abolished as and when the present incumbent retires.

3. The Posts of Research Officers/ Statistical Officers/Economic Officer taken together will be reduced to 05 in a phased manner in consultation with the respective Cadre Controlling Authorities.

HAZARI LAL
Director (Housing)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st March 2006

No.AV.18018/02/2006-AI To evaluate the cost structure & productivity and fix benchmarks for achieving reduction in cost and enhancing productivity as recommended by PIB (Public Investment Board) in connection with acquisition of 50 aircraft for Air India Limited and 18 aircraft for Air India Charters Limited, it has been decided to constitute a Committee consisting of the following Members :-

1. Shri R.K. Singh, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation	**Chairperson**
2. Shri Sandeep Prakash, Director, Ministry of Civil Aviation.	**Member**
3. Smt. Neelam Sanghi, Director Ministry of Civil Aviation.	**Member**
4. Shri Sudesh Punhani Director – Finance Air India Limited.	**Member**
5. Shri Amod Sharma, Director – Personnel, Air India Limited.	**Member**

2. The terms of reference of this Committee would be as under:

(i) To review manpower requirements and its optimal utilization.

(ii) To review the Memorandum of Understanding with Employees Unions and give specific suggestions in the contracts/agreements to increase employees productivity, keeping in view industry norms.

(iii) To conduct cost benefit analysis of outsourcing in non-core activities in Air India and to give suggestions to reduce the employee to aircraft ratio.

(iv) To review short term and long term market potential for core/ non-core activities for formulating the revenue and profit targets.

(v) To review the cost structure of the airline and suggest measures to increase the Revenue Expenditure Ratio.

(vi) To review physical performance of the airline and suggest measures to improve aircraft utilization, overall load factor etc.

(vii) To undertake comparative analysis of physical/financial performance of Air India vis-à-vis industry norms and suggest measures for overall improvement in airline performance.

(viii) To look into any other related aspect as may be deemed necessary.

3. The Committee may coopt any other member(s) as may be deemed necessary for due discharge of its functions.

4. The Committee may complete its task as expeditiously as possible, but not later than three months.

K.K. PADAMANABHAN
Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th February 2006

No. K-14012/101/2006-NURM.—

1. The Technical Advisory Group for Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) is hereby constituted as under :

i)	Shri Ramesh Ramanathan	-	National Technical Advisor and Chairperson
ii)	Prof. Om Prakash Mathur	-	Member
iii)	Smt. Sheela Patel	-	Member

2. Terms of reference of the Technical Advisory Group shall be :

i) To advise National Steering Group, Mission Directorate and Central Sanctioning and Monitoring Committee, State Level Steering Committees and Urban Local Bodies on enlisting community participation, securing transparency and accountability, ways and means of involving citizens in service delivery and governance.

ii) To help create voluntary technical corps in each Mission city.

iii) To help mobillze support of civil society and elected representatives for reforms in urban governance.

iv) To help enlist involvement of citizens at grass root level through Ward Committees, Area Sabhas and Voluntary Technical Corps etc.

3. Technical Advisory Group will meet atleast once in a month.

4. Ministry of Urban Development will provide suitable space and other logistical support for smooth conduct of meetings of the Group.

5. Non-official members of the Group will be entitled to TA/DA at the rates prescribed for Class-I officers of the Government of India.

6. National Technical Advisor will be a special invitee to Central Sanctioning and Monitoring Committees of both the sub-Missions under Ministry of Urban Development and Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation.

7. States will be requested to include the National Technical Advisor as member or special invitee to the State Level Steering Committee.

8. This issues with the approval of Minister for Urban Development.

S. KANAKAMBARAN
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006